न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2019

अपीलार्थी–

मांगे खां पुत्र सुलेमान खां जाति मोयला कुम्हार निवासी पांयला खुर्द, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता–

1. तहसीलदार सिणधरी
2. पटवारी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2019 जो प्रकरण सं. 02/2019 मे रेस्पो. सं. 1 तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार राजकीय पैरोकार उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18/12/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिणधरी द्वारा प्रकरण सं. 02/2019 सरकार बनाम मांगे खां मे पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का पांयला खुर्द द्वारा तहसीलदार सिणधरी के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पांयला खुर्द के खसरा नम्बर 271 रकबा 25–01 किस्म गैर मुमकीन आगोर सरकारी भूमि मे से 00–06 बीघा भूमि पर गैर सायल मांगे खां वल्द सुलेमान खां कौम मोयला सा0 देह द्वारा पश्चातवर्ती कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध

जिला कलक्टर बाड़मेर

नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकट किया कि मुतनाजा भूमि की पुनः पैमाईश की जावें। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा टीम का गठन कर पैमाईश हेतु निर्देशित किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक पांयला कला के नेतृत्व में तीन पटवारियों की टीम द्वारा दिनांक 15.07.2019 को मौका निरीक्षण कर रूबरू मौतबिरान पैमाईश की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि गैर सायल का मौके पर अतिक्रमण द्वारा अवैध कब्जा विद्यमान हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिये अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 15.07.2019 के द्वारा 50.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 26.07.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय पैरोकार की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अपीलांट ग्राम पांयला खुर्द के खसरा नम्बर 273/1 रकबा 24–00 बीघा का खातेदार हैं और अपने खेत में बने हुए घर में निवास कर रहा है जिसमें पानी का टांका, चारबाड़ा आदि बना हुआ हैं और अपीलांट के साथ ही अन्य सहखातेदार भी निवास कर रहे हैं। इस खसरा में पड़ौस में खसरा नम्बर 271 रकबा 25–01 बीघा आगोर एवं 272/1 स्कूल का आया हुआ हैं जिसमें स्कूल का भवन एव शेष चारदिवारी बनी हुई हैं। हल्का पटवारी द्वारा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट को तंग व परेशान करने की नीयत से पुराना आवासीय मकान तोड़ने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की गई हैं। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुतनाजा भूमि की पैमाइश उसकी मौजूदगी में की जावें तथा पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा पैमाईश कमेटी का गठन किया, किन्तु पैमाईश के समय अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई एवं एक तरफा मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसी दिन अपीलाधीन बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के पडौसी खातेदार को नाजायज फायदा दिलाने के लिए झूठी रिपोर्ट तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश की गई हैं। मौका–कब्जा स्थिति की रिपोर्ट अपीलांट के निवेदन पर तैयार की गई हैं किन्तु पैमाईश के समय अपीलांट को सूचित ही नहीं किया गया। इस आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन बेदखली आदेश पारित करने में विधि की भारी भूल की हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी के प्रकरण सं. 02/2019 में पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का आदेश पारित करावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय पैरोकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम पांयला खुर्द के खसरा नम्बर 271 किस्म गैर मुमकीन आगोर सरकारी भूमि मे से 00–06 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट के निवेदन पर ही पुनः पैमाईश हेतु एक भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ तीन पटवारियान की टीम का गठन कर पैमाईश की गई, जिसमें अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने गैर मुमकीन आगोर की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया हैं, वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पांयला खुर्द के खसरा नम्बर 273/1 अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा–काश्त होना प्रकट किया है, तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा इस कब्जे को राजकीय गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर होना प्रकट करते हुए रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ तीन अन्य पटवारियों की संयुक्त टीम का गठन कर मौके पर रूबरू मौतबिरान पैमाईश की जाकर रिपोर्ट तैयार की गई हैं। अपीलांट यदि स्वंय अपने कब्जे के रहवासीय मकान में निवास कर रहा हैं तथा उसी के निवेदन पर पुनः पैमाईश की जा रही थी तो उसे स्वंय उपस्थिति होना चाहिए था तथा किसी प्रकार की भ्रांति पर अपनी असहमति/उजरदारी प्रकट की जानी चाहिए थी, किन्तु वह स्वंय जानबूझकर पैमाईश के समय उपस्थित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट हैं कि उसका सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हैं, जहां तक खसरा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नम्बर 271 गैर मुमकीन आगोर एवं खसरा नम्बर 272/1 गैर मुमकीन स्कूल की भूमि की अवस्थिति का प्रश्न हैं, यदि मौका पर इनकी वस्तुस्थिति भिन्न स्थान पर हैं तो अपीलांट नक्शे में अंकित पडौस को आधार मानकर स्कूल के पडौस में जाकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का हकदार कतई नहीं हो सकता हैं। इस सम्पूर्ण अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के रकबे का कम–ज्यादा होने कोई तर्क प्रकट नहीं किया हैं, बल्कि नक्शा में तरमीम एवं मौके पर भौतिक अवस्थिति को आधार मानकर अपने नाजायज कब्जे को सही ठहराने का प्रयास किया गया हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट की जानकारी में आने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं किन्तु प्रतिरक्षण स्वरूप ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं तथा मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन

तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2019 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर